RAJYA SABHA

Thursday, the 27th February, 2003/8 Phalguna, 1924 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*141. [*The Questioners Shri Bhagatram Manhar and Shri Raju Parmar were absent for answer vide pages* 36-37]

निजी रोजगार कार्यालय

*142. **श्री मोती लाल वोरा:††***

श्रीमती प्रेमा करियप्पा:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी रोजगार कार्यालयों को खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक निजी रोजगार कार्यालय आज भी सरकार की अनुमति के बिना ही कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन निजी रोजगार कार्यालयों द्वारा बेरोजगारों के साथ की जा रही ठगी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके कारण क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री साहिब सिंह वर्मा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) रोजगार कार्यालय, राज्य/संघ शासित सरकारों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन रोजगार कार्यलय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करते हैं। निजी नियोजन अभिकरण राज्य/संघ शासित सरकारों के क्षेत्राधिकार में

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Moti Lal Vora.

कार्य कर रहे हैं। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत आने वाली निजी जनशक्ति निर्यात रोजगार एजेन्सियों तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अन्तरराज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अतंर्गत आने वाले श्रम ठेकेदारों को छोड़कर, ऐसी निजी नियोजन एजेन्सियों के लिए सरकार से अनुमति/पंजीकरण/मान्यता प्राप्त करने की पद्धति नहीं है। धोखाधड़ी के मामले, यदि कोई हों तो, उन पर कानून के सामान्य प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाती है।

Private employment exchanges

†*142. SHRI MOTILAL VORA:††
SHRIMATI PREMA CARIAPPA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are considering grant of permission for opening of private employment exchanges;

(b) whether it is a fact that a number of private employment exchanges are operating even at present without Government's permission;

(c) if so, the steps taken by Government to stop cheating of the unemployed persons by these private employment exchanges; and

(d) if no action has been taken, so far, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Employment exchanges function under the administrative and financial control of the State/UT Governments and operate as per the provisions of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959. Private placement agencies are operating under the jurisdiction of the State/UT Governments. There is no system of permission/registration/recognition of such private placement agencies by the Government, excepting for private manpower exporting employment agencies which come under the Emigration Act, 1983 and labour contractors who come under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment

†Original notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Moti Lal Vora.

and Conditions of Service) Act, 1979. Cases of cheating, if any, are dealt with under the normal provision of the law.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश में कितने और कहां-कहां निजी नियोजन अभिकरण चल रहे हैं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जैसी जानकारी अभी चाही है, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्राइवेट ऐम्प्लॉयमेंट ऐक्सचेंजिस की बात है, मुख्यत: बड़े शहरों में वे निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही अस्तित्व में आए हैं। मोटे तौर पर इन एजेंसियों को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं-- उत्प्रवास अधिनियम 1983 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल निजी जनशक्ति निर्यात रोजगार एजेंसियां, ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत एजेंसियां और तीसरे इंटर स्टेट प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के तहत एजेंसियां। इन उपबंधों के अंतर्गत शामिल श्रमिक ठेकेदार तथा कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम तीसरी केटेगिरी में ले सकते हैं जिन्होंने अपने आप अपनी इच्छा से ये बना रखे हैं। कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि कोई निजी ऐम्प्लॉयमेंट ऐक्सचेंज बनाए, लोगों ने अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से बना रखे हैं।

श्री सभापति: मतलब बिना अनुमति के बना सकते हैं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: जी हां, बना सकते हैं।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि देश में कितने ऐसे निजी रोजगार अभिकरण चल रहे हैं और कहां-कहां चल रहे हैं? आपने कहा कि इस पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यह तो मैंने मान लिया। मैं कहना चाहता हूं कि शासन की जानकारी में इस बात का होना आवश्यक है कि ऐसे निजी रोजगार कार्यालय कहां चल रहे हैं और क्या वर्तमान में राज्य सरकारों के अंतर्गत जो रोजगार कार्यालय चल रहे हैं, उनसे इसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, मेरी जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 48, कर्नाटक में 41, पंजाब में 30, असम में 6, पश्चिमी बंगाल में 32, मध्य प्रदेश में 15, हरियाणा में 25, जम्मू कश्मीर में 11, गुजरात में 30, केरल में 48, तमिलनाडु में 8, महाराष्ट्र में 254, पांडिचेरी में 2, उड़ीसा में 4, राजस्थान में 83, बिहार में 69 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 56 और इस तरह से कुल मिलाकर 780 ऐसी निजी नियोजन एजेंसियां चल रही हैं।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है...

श्री सभापति: आपके दोनों प्रश्न हो गए हैं।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति जी, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि

राज्यों में जो रोजगार कार्यालय चल रहे हैं क्या उनसे उनकी पूर्ति नहीं हो सकती? क्योंकि निजी रोजगार कार्यालयों में ठगी की घटनाओं की जानकारी लगातार मिलती रहती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों से आपको अब तक कहां-कहां से निजी रोजगार कार्यालयों से ठगी की घटनाओं की जानकारी मिली है?

श्री सभापति: ऐसी कोई स्टडी की है क्या?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिस पर और अधिक चर्चा होने की आवश्यकता है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे यहां पर इसके लिए कोई ऐसी रेगुलेट्री मशीनरी नहीं है कि जो प्राइवेट लोग अपने खुद के ऐक्सचेंज चला रहे हैं उनका संचालन. .....

श्री सभापति: इनका प्रश्न सीधा सा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्टडी कराई है और अगर आपको जानकारी दी हो तो बता दीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा : हमने अब तक जो स्टडी की है, उसके अनुसार यह है कि अपनी मर्जी से जो लोग चला रहे हैं, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है और उस स्थिति को ठीक करने के लिए रेगुलेटिंग मशीनरी की आवश्यकता है। हमारे कानून में अभी तक इस प्रकार की किसी रेगुलेटिंग मशीनरी का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री मोती लाल वोरा: अपनी मर्जी से कैसे चला रहे हैं?

श्री सभापति: मर्जी से बहुत काम हो रहे हैं। जब इस हाऊस में ही मर्जी से काम हो रहे हैं तो बाहर तो होंगे ही।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, these private placement agencies are becoming very popular, especially among the unemployed youth. Most of the youth go to these private placement agencies for seeking jobs. The hon. Minister, in his reply, has stated that there is no system of giving permission, recognition, or, registering these agencies. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government proposes to register these private placement agencies so that they work under the regulation of the Government. I would also like to know how the Government proposes to enlighten the public, in general, and unemployed youth, in particular, so far as these agencies are concerned. Will the Government ensure that these agencies do not cheat the unemployed youth?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, यह बात तो सही है कि निजी क्षेत्र में प्राइवेट एक्सचेंज खुलें तो वे बहत अच्छा काम कर सकते हैं। उसकी आवश्यकता भी है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, यह भी आवश्यक है कि एक रेगुलेटिंग मशीनरी उसके ऊपर हो। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या हम कानून में इस प्रकार का कोई संशोधन करें जिससे प्राइवेट एजेंसीज़ को हम काम करने की परमीशन दे सकें और उनको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटिंग मशीनरी बना सकें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister, in his reply, has stated, "Cases of cheating, if any, are dealt with under the normal provision of the law." It is felt that a large number of fraudulent activities, in the name of providing employment, are taking place in these agencies. And, a large number of such cases have come to light. Some of them have been published in the media also. Therefore, as the hon. Minister has stated there is no provision in the law to regulate the activities of these private placement agencies, is the Government going to formulate its policies in order to regulate the activities of these private placement agencies? If yes, can he indicate some timeframe, by which the Government would be able to formulate its policies?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां अगर कोई fradulent activities करता है तो देश के कानून के अंदर फ्रॉड करने और चीटिंग करने वालों से निपटने के बारे में प्रावधान तो हैं। लेकिन हमारे पास अलग से उसको चैक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं और जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसी रेगुलेटिंग मशीनरी की आवश्यकता है जो इसको कंट्रोल कर सके।

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि खुद दिल्ली में ही गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में नौकरी दिलाने के लिए प्राइवेट एजेंसीज़ कार्यरत हैं। क्या इस विषय में सरकार को कोई जानकारी है? सरकार जो इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाती है चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट चलाए या यूनियन टैरिटरी गवर्नमेंट चलाए, वहां जो वेटिंग लिस्ट है, वह बहुत बड़ी है। जो सरकारी नौकरियां हैं, उनके लिए प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू लोगों को रिक्रूट किया जाता है। इस विषय में आपकी क्या राय है?

श्री सभापति: सरकारी नौकरियां तो प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू नहीं मिलती होंगी।

श्री सतीश प्रधान: दिल्ली में ऐसी एजेंसीज़ कार्यरत हैं, इसलिए मैंने पूछा है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय खुद ही कह रहे हैं कि अभी प्राइवेट एजेंसीज़ के रेगुलेशन की पूरी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होने के बाद जानकारी मिलेगी।

Payments to extremists by Pakistan High Commission

*143. SHRI K. NATWAR SINGH:††
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Pakistan High Commission and its envoy were held responsible for making payments for distribution to extremists;

(b) if so, whether report reveals that a number of parties including Hurriyat were found in possession of the money paid by the Pakistan High Commission;

(c) whether Government have expelled all such members of the Pakistani High Commission who were held responsible;

(d) if so, whether Pakistan has protested on this issue; and

(e) what steps Government have taken against Pakistan on this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) to (e) A Statement is placed on the Table of the House.

(a) to (e) On February 6, Anjum Zamarud Habib was apprehended on coming out of the Pakistan High Commission in New Delhi and was found in possession of funds which she indicated had been received in the High Commission, *inter alia*, for distribution among terrorist outfits.

On February 8, 2003 Government asked Pakistan to withdraw its Charged' Affaires in New Delhi for involvement in this incident.

Government also asked Pakistan to withdraw four other officials of the High Commission in view of their involvement in this and some other acts incompatible with their official status.

Government of Pakistan, as it routinely does, denied the involvement of its officials and lodged a protest.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri K. Natwar Singh.